

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे.(419)/2018/


दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयोगशाला सहायक/सीधी भर्ती/2017/386 दिनांक 06.12.2017 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमानना संख्या 984/17 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11646/15 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2017 की पालना एवं डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1058/17 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम विवेकानन्द गर्ग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2017 की पालना में श्री विवेकानन्द गर्ग पुत्र श्री बाबू लाल गर्ग एवं श्री गंगाराम सैनी पुत्र श्री भोम सिंह सैनी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

उक्त वर्णित नियुक्ति विभाग द्वारा डी.बी. संख्या 1058/17 के निर्णय दिनांक 05.12.2017 के विरुद्ध दायर की जाने वाली एसएलपी के निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे.(419)/2018/ 352

दिनांक : 04/06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्री के. एल. ठाकुर अतिरिक्त महाधिवक्ता राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर।
2. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/करौली।
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) एवं केस प्रभारी अधिकारी, जोधपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
6. श्री विवेकानन्द गर्ग / श्री गंगाराम सैनी, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर